

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में दर्ज कैथलवैश्य/कथबनिया जाति को विलोपित कर उसे (कैथलवैश्य/कथबनिया को) अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-110 पर दर्ज सिन्दुरिया बनिया के साथ शामिल करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9(1)(क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे। जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9 (1) (ग) के अनुसार समय-समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा-9(2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा-9(1)(ग) के तहत कैथलवैश्य/कथबनिया जाति के संबंध में निम्नांकित सलाह दी गयी है:-

“पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में दर्ज कैथलवैश्य/कथबनिया जाति को विलोपित कर उसे (कैथलवैश्य/कथबनिया को) अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-110 पर दर्ज सिन्दुरिया बनिया के साथ शामिल/दर्ज कर दिया जाय।”

अतः राज्य सरकार ने भली-भौति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर बनिया जाति की उप-जाति के रूप में दर्ज कैथलवैश्य/कथबनिया जाति को विलोपित कर उसे (कैथलवैश्य/कथबनिया को) अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-110 पर दर्ज सिन्दुरिया बनिया के साथ शामिल कर दिया जाय।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

**आदेश-** आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना /बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
(आनन्द बिहारी प्रसाद)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—11 / आ०नी०—iii—०५ / २०१२सा०प्र० ५६१७

पटना—15, दिनांक ०५.०४.२०१३

प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

हृ० /—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—11 / आ०नी०—iii—०५ / २०१२सा०प्र० ५६१७

पटना—15, दिनांक ०५.०४.२०१३

प्रतिलिपि — महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा अयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप—सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप—सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलंब सूचित करा दे।

हृ० /—

सरकार के संयुक्त सचिव।